न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 109 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00133

प्रार्थी :– बनाम **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार रानी

1. चेलाराम पुत्र लकाराम
2. सोहनलाल पुत्र लकाराम
3. राजकी पत्नी लकाराम
4. उदाराम पुत्र हेमाराम जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण टेवाली तहसील रानी जिला पाली
5. संजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रवाड़ा तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री किशोर कुमावत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 14/5/2019

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पादरली तुर्कान तहसील रानी के खसरा नम्बर 108 रकबा 27.08 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज हैं। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2019 में गै0मु0 वाला के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। तहसीलदार पाली द्वारा आदेश क्रमांक / राजस्व / 1154 दिनांक 16.12. 1971 के जरिये उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज लकीया, उदीया पि0 खेता, गीगा वल्द रूपा, घीसा वल्द हेमा कौम मारू कुम्हार सा0 टेवाली के नाम नियमन की गई। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 88 के जरिये नियमनसुदा आराजी का राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात खातेदारान् के फौत होने के कारण सिलसिलेवार दायर हुए नामान्तरकरण संख्या 213, 221, 312 के जरिये खातेदारान् के वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात सह खातेदार भंवरी पुत्री गीगा द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के कारण धापूदेवी पत्नी डूंगाराम का नाम नामान्तरकरण संख्या 341 के बतौर सह खातेदार राजस्व रेकर्ड में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दर्ज किया गया। इसके पश्चात सह खातेदार भंवरी पत्नी डूंगाराम द्वारा बेचान करने से नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 21.05.2015 के जरिये क्रेता संजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दरवाडा का नाम बतौर सह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तद्नुसार अप्रार्थीगण बतौर सह खातेदार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। चूंकि वक्त नियमन उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 वाली दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। इस कारण उक्त भूमि का नियमन किया जाना विधिक परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित नहीं था। इसके बावजूद भी तहसीलदार पाली द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/1154 दिनांक 16.12.1971 गै0मु0 वाली की भूमि का नियमन किया गया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/1154 दिनांक 16.12.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 88 एवं उसके पश्चातवर्ती क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 213, 221, 312, 341 एवं 476 को अपास्त करावें एवं भूमि की किस्म गै0मु0 वाली दर्ज कराते हुए भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कराने हेतु माननीय मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी किसी भी रूप में वाली की भूमि नहीं है तथा न ही बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि काबिल काश्त है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूवर्जों का कब्जा काश्त था, जिसके कारण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों के पक्ष में नियमन आदेश पारित किया है, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया हैं। उक्त भूमि किसी भी रूप में अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित नहीं है तथा न ही वाले के बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किए तथा बिना दस्तावेज संलग्न किए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने तथा विधिक रूप से भी पोषणीय नहीं होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पादरली तुर्कान तहसील रानी के खसरा नम्बर 108 रकबा 27.08 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि गै0मु0 वाला के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। तहसीलदार पाली द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/1154 दिनांक 16.12.1971 के द्वारा भूमि लकीया, उदीया पि0 खेता, गीगा वल्द रूपा, घीसा वल्द हेमा कौम मारू कुम्हार सा0 टेवाली के नाम नियमन की गई। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 88 के जरिये नियमनसुदा आराजी का राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात खातेदारान् के फौत होने के कारण सिलसिलेवार दायर हुए नामान्तरकरण संख्या 213, 221, 312 के जरिये खातेदारान् के वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात सह खातेदार भंवरी पुत्री गीगा द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के कारण धापूदेवी पत्नी डूंगाराम का नाम नामान्तरकरण संख्या 341 के बतौर सह

अति० जिला कलेक्टर, पाली

खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात सह खातेदार भंवरी पत्नी डूंगाराम द्वारा बेचान करने से नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 21.05.2015 के जरिये क्रेता संजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दरवाडा का नाम बतौर सह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तद्नुसार अप्रार्थीगण बतौर सह खातेदार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। चूंकि वक्त नियमन उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 वाली दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 वाला दर्ज किया जाना हैं। अतः तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/1154 दिनांक 16.12.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 88 एवं उसके पश्चातवर्ती क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 213, 221, 312, 341 एवं 476 निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/1154 दिनांक 16.12.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 88 एवं उसके पश्चातवर्ती क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 213, 221, 312, 341 एवं 476 को अपास्त करते हुए ग्राम पादरली तुर्कान तहसील रानी जिला पाली के वर्तमान खसरा नम्बर 108 रकबा 27.08 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 वाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली